न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/5525/2004/जयपुर

1– बलवीरसिंह पुत्र किशनसिंह मृतक जरिए वारिसानः–

1/1– हर्षवर्धनसिंह पुत्र बलवीरसिंह

1/2– मानवर्धनसिंह पुत्र बलवीरसिंह

1/3– भवानीसिंह पुत्र बलवीरसिंह

1/4– पृथ्वीराजसिंह पुत्र बलवीरसिंह

1/5– ज्ञानकंवर पुत्री बलवीरसिंह

1/6– उगमकंवर पुत्री बलवीरसिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी जोबनेर, तहसील सांभर, जिला जयपुर।

2– रणवीरसिंह पुत्र किशनसिंह मृतक जरिए वारिसानः–

2/1– दाखकंवर बेवा रणवीरसिंह

2/2– बिथमदेवसिंह पुत्र रणवीरसिंह

2/3– बिरमदेव पुत्र रणवीरसिंह

2/4– स्वरूपकंवर पुत्री रणवीरसिंह

2/5– विक्रमदेवसिंह पुत्र रणवीरसिंह

जाति राजपूत, निवासी ग्राम जोबनेर, तहसील सांभर, जिला जयपुर, हाल आबाद ग्राम ईडवा, तहसील डेगाना, जिला नागौर।

3– आनंदकंवर पुत्री किशनसिंह जोजे सांवतसिंह जाति राजपूत, निवासी लाड़नू, तहसील लाडनू, जिला नागौर।

–अपीलांटस

बनाम

1– कृषि कॉलेज जोबनेर, जिला जयपुर द्वारा डीन श्री करण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर, तहसील सांभरलेक, जिला जयपुर।

2– वाईस चांसलर, बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।

3– सचिव कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

4– राजस्थान सरकार।

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री अशोक नाथ योगी, अधिवक्ता अपीलांटस

श्री दुनीचंद डिढ़ारिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंटस संख्या 1

श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3

निर्णय

दिनांकः– 12.03.2025

अपीलांटस द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 1/98 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस किशनसिंह वगैरह ने रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद बाबत् इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर, सांभरलेक के न्यायालय में कस्बा जोबनेर में अवस्थित हाल आराजी खसरा संख्या 1540 गत खसरा संख्या 2332 के रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा के बाबत् पेश किया। वाद पेश होने पर विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद कथनों से इंकार कर वाद खारिज करने का कथन किया । न्यायालय सहायक कलक्टर, सांभरलेक ने बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.78 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पो0/प्रतिवादीगण ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष पेश की जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.1991 के द्वारा स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.78 को अपास्त कर दिया । राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस ने द्वितीय अपील माननीय मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की, जिसे माननीय मण्डल न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.12.97 द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। जिस पर अपीलीय

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने प्रकरण रिमांड से प्राप्त होने पर अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2004 द्वारा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांटस के पक्ष में पारित डिक्री दिनांक 20.04.1978 को अपास्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांटस ने यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3— हमनें उपभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4— अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1540 साबिक खसरा संख्या 2332 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा स्थित ग्राम जोबनेर माफिक नकल खतौनी बंदोबस्त् संवत् 2011 से 2019 राय बहादुर राव नरेन्द्र सिंह की खातेदारी की दर्ज थी। राव नरेन्द्र सिंह ने इस जमीन का पट्टा वादीगण किशनसिंह, बलवीर सिंह, रणधीर सिंह वगैरह के नाम सवंत् 2011 को जारी कर दिया, जिसके लिए वे अधिकृत थे तथा कब्जा संभला दिया था, तभी से वादीगण वादग्रस्त आराजी के विधिवत् खातेदार होकर काबिज है। अपीलार्थीगण ने अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित किया था तथा उक्त प्रमाणित दस्तावेज अपीलीय न्यायालय की पत्रावली में भी संलग्न थे, जिनका अवलोकन किए बिना अपीलीय न्यायालय ने निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2332 संवत् 2011 में ठाकुर नरेन्द्र सिंह की खातेदारी की थी तथा उनके बाद वादीगण किशनसिंह, बलवीर सिंह वगैरह की खातेदारी व कब्जे के ठोस प्रमाण है। इसके विपरीत कृषि कॉलेज जोबनेर के वादग्रस्त आराजी के विधिवत् स्वामित्व व विधिवत् खातेदारी व कब्जे काश्त के कोई प्रमाण, सबूत तथा कोई विधिसम्मत् आदेश पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। डीन कृषि कॉलेज जोबनेर ने अपने बयानों में कहा कि वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय हक में उन्हें सचिव कृषि विभाग द्वारा 20 वर्ष की लीज पर दी गई थी किन्तु इसका कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। प्रतिवादीगण को न तो राव नरेन्द्र सिंह ने वादग्रस्त भूमि दी न राज्य सरकार ने। इनका इस कृषि भूमि से कोई संबंध नहीं है, न कब्जा है, न कभी काश्त की है, ना ही कभी लगान दिया है तथा ना ही स्वामित्व का कोई ठोस प्रमाण है। कृषि कॉलेज की तरफ से एक गजट 31 जुलाई 1962 को पेश किया जिसमें

वादग्रस्त कृषि भूमि का अंकन नहीं है, न कोई सबूत है तथा ना ही कोई प्रमाण पत्रावली में है। खसरा नंबर बदले जाने के वक्त (संवत् 2019) में गलती से खसरा गिरदावरी में कृषि कॉलेज का नाम दर्ज हो गया शिकमी किशन सिंह पुत्र महताब सिंह कौम राजपूत कर दिया गया। जबकि किशन सिंह पुत्र महताब सिंह का कब्जा काश्त संवत् 2011 से वर्तमान तक चला आ रहा है। संवत् 2019 की गिरदावरी में भी किशनसिंह का नाम खुदकाश्त है, समय–समय पर लगान भी अदा किया गया। कृषि कॉलेज, जोबनेर का नाम बिना किसी कानूनी प्रकिया या बिना किसी वैधानिक अधिकार के अभाव में कृषि कॉलेज, जोबनेर का नाम इन्द्राज जमाबंदी में अवैधानिक है जिसकी कोई मान्यता नहीं है। राजस्व रिकार्ड में बिना किसी कानूनी अधिकार व बिना किसी विधिवत् आदेश अंकित इन्द्राज अवैध एवं शून्य है। कृषि कॉलेज जोबनेर का वादग्रस्त आराजी पर विधिवत् खातेदारी प्राप्त करने, लीज पर प्राप्त करने के अभाव में कोई लोकस स्टेण्डाई ही नहीं है। जमाबंदी में कॉलेज का नाम विधिसंगत नहीं है, विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2004 को निरस्त किया जावें तथा न्यायालय सहायक कलक्टर, सांभरलेक के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.04.78 को यथावत् रखा जावें।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1540 साबिक खसरा संख्या 2332 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा ग्राम जोबनेर माफिक नकल खतौनी बंदोबस्त् सवंत् 2011 लगायत 2019 राय बहादुर नरेन्द्रसिंह के नाम जागीरदार के तौर पर दर्ज होकर भूमि का काश्तकार रामधन, हरनाम पिसरान लालू जाट सा0 देह खुद काश्त दर्ज था। जागीरदारी रिजम्पशन एक्ट 1952 में पास किया गया तथा 1954 में गजट नोटिफिकेशन जारी कर लागू किया गया था, जिसका सर्वे सेटलमेंट 2011 से 2019 में दर्ज किया गया। रामधन, हरनाथ के नाम काश्त दर्ज होने के कारण राव नरेन्द्रसिंह जागीरदार के सभी अधिकार स्वतः समाप्त हो गए थे। उनके कामदार को विवादित भूमि का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि जागीर एक्ट के तहत राव नरेन्द्रसिंह द्वारा इस भूमि बाबत् खुदकाश्त दर्ज कराने के लिए जागीर एक्ट की धारा 10 के तहत कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई थी। उनके इस भूमि के सभी अधिकार जागीर एक्ट

1954 के लागू होते ही समाप्त हो गए थे। वादीगणों/अपीलांटस को पट्टे के आधार पर किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं मिल सकते थे। संवत् 2011 में रामधन, रामनाथ के विवादित भूमि पर काश्तकार के तौर पर नाम दर्ज होते ही उनके खातेदारी स्वतः ही जागीर एक्ट की धारा 9 के तहत प्राप्त हो गए थे तथा बाद की सभी गिरदावरियों के इन्द्राज अवैध व शून्य है। अपीलांटस द्वारा पेश सभी दस्तावेज अवैध है। उनको किसी भी प्रकार की खातेदारी अधिकार नहीं मिले थे, जब जागीर 1954 में रिज्यूम हो गई थी तब राव नरेन्द्रसिंह के इस भूमि बाबत् अधिकार समाप्त होकर राज्य सरकार में निहित हो गए थे। अपीलांटस के पक्ष में जारी इस भूमि बाबत् पट्टे अवैध व शून्य है। कामदार भंवरलाल ने अपने बयानों को पट्टा राव नरेन्द्रसिंह के कहने पर दिया गया बताया गया वह कानून के अनुसार अवैध है। गिरदावरी संवत् 2015 से 2018 में खातेदार राव नरेन्द्रसिंह नाम दर्ज होना अवैध है क्योंकि राव नरेन्द्रसिंह जागीरदारी 1954 के समाप्त होने के बाद कानूनन जागीरदार द्वारा अपनी खुदकाश्त की भूमि बाबत् जागीर एक्ट के तहत जागीर जिलाधीश या जागीर कमीशन से खुदकाश्त घोषित नहीं करवाने से उनके अधिकार संवत् 2011 में ही समाप्त हो गए थे। जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 किशनसिंह का कब्जा दर्ज होना साबित करता है कि राजस्व अधिकारियों से मिलकर सभी दस्तावेज तैयार कराए गए है जो अवैध एवं शून्य है। विवादित भूमि राव नरेन्द्रसिंह के खातेदारी में 2011 से 2019 दर्ज होने से राज्य सरकार के खाते में दर्ज हो गई तथा भूमि पर काश्तकार रामधन व हरनाथ पिता लालू जाट के नाम होने से जागीरदार के सभी अधिकार जागीर एक्ट की धारा 9 के तहत समाप्त हो गए थे। किशनसिंह पुत्र महताबसिंह का कब्जा काश्त संवत् 2011 से 2019 की जमाबंदी में कभी भी नहीं रहा। उनके द्वारा अवैध व कूटरचित दस्तावेज पेश किए गए है, क्योंकि संवत् 2011 से 2019 की जमाबंदी में शिकमी काश्तकार कदीमी रामधन, हरनाथ दर्ज थे जो स्वतः ही जागीर एक्ट की धारा 9 के तहत खातेदार हो गए थे, ये दस्तावेज पहले से ही रिकार्ड पर है। अपीलांटस द्वारा राजस्व अधिकारियों से सांठ–गांठ कर अवैध व गैरकानूनी रूप से रिकार्ड तैयार किया गया है, जिसको मान्यता नहीं दी जा सकती है। जागीर एक्ट के तहत खुदकाश्त जागीरदार की ही हो सकती है तथा अन्य व्यक्ति काश्तकार के कॉलम में दर्ज होते हैं। कृषि कॉलेज के नाम दर्ज भूमि बाबत् अपीलांट को ऐतराज करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावें।

6— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांटस बलवीर सिंह पुत्र महताब सिंह, बलवीर सिंह व रणवीरसिंह पुत्रगण किशनसिंह ने प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्ध वाके मौजा जोबनेर अवस्थित आराजी खसरा नंबर 1540 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा बाबत् सहायक जिलाधीश, सांभरलेक के न्यायालय में वाद पत्र वास्ते इस्तकरार हक पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है फिर भी प्रतिवादी विवादित आराजी पर नाजायज कब्जा करना चाहते है । अतः वादपत्र में दर्शाये अनुसार वाद डिक्री किया जावे । विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.04.1978 को निर्णय पारित कर वादीगण का वाद डिक्री किया है । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी/वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2004 के द्वारा प्रतिवादी/वर्तमान रेस्पोडेंटस की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.1978 को अपास्त करने का आदेश प्रदान किया है ।

8— इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि हाल खसरा नंबर 1540 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा गत खसरा नंबर 2332 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा से बना है । इसी प्रकार खतौनी बंदोबस्त जमाबंदी संवत् 2011 से 2019 में खसरा नंबर 2332 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि कॉलम नंबर 5 में शिकमी काश्तकार रामधन, हरनाथ पि0 लालू कौम जाट, सा0देह दर्ज है । इसी प्रकार नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2011 से 2014 के कॉलम नंबर 6 में उप कृषक रामधन, हरनाथ पि0 लालू दर्ज है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू होने के समय संवत् 2011 और उसके पश्चात् संवत् 2014 से 2019 तक जमाबंदी अनुसार वादीगण/अपीलांटस का नाम दर्ज नहीं है । वादीगण विवादित आराजी ठाकुर जोबनेर से मिलना बताते है किन्तु उनके द्वारा जारी कोई पट्टा पेश नहीं किया है बल्कि कामदार के द्वारा लिखी लिखावट पेश की गई है जिसको वादी पट्टा

बताते है। वादी ने धारा 15 व 19 आर.टी.एक्ट के तहत वाद पत्र पेश नहीं किया है । धारा 15 के तहत वही व्यक्ति खातेदार हो सकता है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने के समय खुदकाश्त काबिज खातेदार हो या लगान देने के लिए अधिकृत हो और धारा 19 के तहत उप कृषक हो या उपकृषक की हैसियत रखते हो । ऐसी स्थिति में वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार नहीं है । खसरा गिरदावरी संवत् 2011 से 2019 में खातेदार की हैसियत से या खातेदार के कॉलम में वादीगण/अपीलांटस का नाम दर्ज नहीं है । संवत् 2011 में कॉलम संख्या 5 में अन्य व्यक्ति रामनाथ, हरलाल जाट का नाम दर्ज है और संवत् 2022 से 2025 तक की जमाबंदी में भी खातेदार या उप कृषक की हैसियत से वादी का नाम दर्ज नहीं है, बल्कि विशिष्ट कॉलम में नाम अंकित है, जिससे वादीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । हम विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत है कि तथाकथित पट्टा जिसे ठीकाना जोबनेर के द्वारा संवत् 2011 में जारी करना बताया है, उक्त पट्टा पर ठीकाना ठाकुर के कोई हस्ताक्षर नहीं है केवल भंवरलाल कामदार के हस्ताक्षर है । कामदार इस प्रकार की जमीन का पट्टा जारी करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत नहीं था । जागीर उन्मूलन के साथ ही विवादित भूमि राजकीय भूमि हो गयी थी तथा राजकीय भूमि होने से विवादित भूमि कृषि कॉलेज जोबनेर के नाम दर्ज हुई है । उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर विधिविरूद्ध आधारों पर विचारण न्यायालय ने वादीगण/अपीलांटस का वाद दिनांक 20.04.1978 को स्वीकार किया था जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही तौर पर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत अपील अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2004 के द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.1978 को निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

8— परिणामतः **अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2004 यथावत् रखा जाता है ।**

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष